न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा, जिला – उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या :– 55/2016 दायर दिनांकः– 03.08.2016

फैसल दिनांकः– 02.12.2019

श्री कृपाशंकर पिता वक्ताजी तबियाड जाति मीणा उम्र–वयस्क निवासी पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

वादी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
2. सचिव ग्राम पंचायत पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जयपुर जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा एवं बेदखली अन्तर्गत धारा 188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–
श्री एम.एल. जोदावत
श्री प्रकाश भणात

–:: निर्णय ::–

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

1. मौजा पाटिया पटवार हल्का पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.) की वर्तमान खेवट (खतोनी) संवत् 2070–2073 खाता संख्या नया 15 पुराना 15 कुल किता 01 खसरा संख्या 371 रकबा 1.65 हैक्टर भूमि स्थित होकर वादी खातेदार काश्तकार एवं कब्जेदार है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कोई हक, हिस्सा, स्वामित्व एवं आधिपत्य नही है। वादी अपने खातेदारी हक, कब्जे, स्वामित्व के उक्त आराजी नम्बर 371 रकबा 1.65 हैक्टर पर निर्विध्न रूप से काबिज हो काश्त करता आ रहा है।
2. यह कि वादी द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि दिनांक 26.04.1985 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र श्री अर्नूनसिंह पिता देवीसिंहजी राजपुत (पंवार) निवासी पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.) से क्रय करने की दिनांक 26.04.1985 से भौतिक रूप से काबिज हो अपने कब्जेयाबी में हो उसका उपयोग–उपभोग वादी करता आ रहा है एवं हर वर्ष फसल मक्का, तुअर, उडद आदि की पैदावार कर फसल बराबर लेता आ रहा है।

[illegible]

[illegible]

वादी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
2. सचिव ग्राम पंचायत पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जयपुर जरिये भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा एवं बेदखली अन्तर्गत धारा 188, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति वादी अधिवक्ता :–
श्री एम.एल. जोदावत
श्री प्रकाश भणात

–:: निर्णय ::–

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि

1. मौजा पाटिया पटवार हल्का पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.) की वर्तमान खेवट (खतोनी) संवत् 2070–2073 खाता संख्या नया 15 पुराना 15 कुल किता 01 खसरा संख्या 371 रकबा 1.65 हैक्टर भूमि स्थित होकर वादी खातेदार काश्तकार एवं कब्जेदार है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का कोई हक, हिस्सा, स्वामित्व एवं आधिपत्य नही है। वादी अपने खातेदारी हक, कब्जे, स्वामित्व के उक्त आराजी नम्बर 371 रकबा 1.65 हैक्टर पर निर्विघ्न रूप से काबिज हो काश्त करता आ रहा है।
2. यह कि वादी द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमि दिनांक 26.04.1985 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र श्री अर्नूनसिंह पिता देवीसिंहजी राजपुत (पंवार) निवासी पाटिया तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर (राज.) से क्रय करने की दिनांक 26.04.1985 से भौतिक रूप से काबिज हो अपने कब्जेयाबी में हो उसका उपयोग–उपभोग वादी करता आ रहा है एवं हर वर्ष फसल मक्का, तुअर, उडद आदि की पैदावार कर फसल बराबर लेता आ रहा है।
3. यह कि वादी अपना मूल व्यवसाय नौकरी होने से वह अक्सर हिम्मतनगर आता जाता रहता है एवं यदा कदा वही निवास करता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

जिससे प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ती आ गई एवं उक्त वादी के खातेदारी की कृषि भूमि पर अविधिक रूप से अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य कर अनाधिकृ रूप से काबिज होना चाहते है एवं सरकारी पद का रूपया अविधिक तरीके से खर्च कर वादी के उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में स्थाई पक्का निर्माण कर हडपना चाहते है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा अवैध निर्माण करने के लिये पंचायत के वार्ड पंच व अन्य लोगो को गुमराह कर वादी को धमका रहे है एवं पुराने विवाद को लेकर गांव के लोगों को वादी के खिलाफ उकसा रहे है।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा दिनांक 26.06.2016 को वादी के उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि में जबरजस्ती अतिक्रमण कर उसमें जे0सी0बी0 मशीन किराये पर लगा कर स्वंय उपर रह कर नीवे खोदना शुरू कर दिया जो वादी के भाई फतेहलाल व लालजी ने मौके पर जाकर अतिक्रमण रूकवाया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा उक्त भूमि पंचायत के खाते ही होना बता कर खाद्य भण्डार एवं बिज गोदाम भवन का निर्माण कराने के लिये उतारू हो गये एवं गाली गलोच किया यह भी धमकी दी कि हम तुम्हारे आराजी में आने जाने का रास्ता भी तुम्हार खेत के किनारे निर्माण कर बंद कर देंगे।

5. यह कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपने पद एवं राजनैतिक हैसियत की धमकी देकर अवैद्य कार्य रूकवाने की कोशिश किये जाने पर पुलिस मे बंद कराने की धमकी दी गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि वादी के खातेदारी कब्जेयाबी मे होने की जानकारी होने के बावजूद अकारण सीमा विवाद डाल कर अनाधिकृत अतिक्रमण करने की कोशिश किये जाने पर वादी ने तहसील कार्यालय खेरवाडा में दिनांक 12.05.2016 को आवेदन कर पटवारी हल्का से सीमा जानकारी कराने का आदेश करा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मन में पूर्व से ही खोट आ गई है एवं पटवारी की सीमा जानकारी को मानने व सुनने को तैयार नही है। षययंत्रपूर्वक वादी के खातेदारी की जमीन को हडपने और उसमें अनाधिकृत अतिक्रमण कर अनाधिकृत पक्का भवन निर्माण कार्य पूरा करने के लिये गुपचुप योजना बना ली है एवं येनकेन प्रकार से निर्माण कार्य अवैध तरीके से पूरा कर देना चाहते है।

6. यह कि वादी खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम दर्ज होकर वादी का ही स्वामित्व, आधिपत्य चला आ रहा है ऐसे मे उससे प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वंय या किसी अन्य के माध्यम से उनके द्वारा वादी को बेदखल करने उपयोग उपभोग में

[illegible]
[illegible]
अन्य लोगो को गुमराह कर वादी को धमका रहे है एवं [illegible]
लोगों को वादी के खिलाफ उकसा रहे है।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा दिनांक 26.06.2016 को वादी के उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि में जबरजस्ती अतिक्रमण कर उसमें जे0सी0बी0 मशीन किराये पर लगा कर स्वंय उपर रह कर नीवे खोदना शुरू कर दिया जो वादी के भाई फतेहलाल व लालजी ने मौके पर जाकर अतिक्रमण रूकवाया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा उक्त भूमि पंचायत के खाते ही होना बता कर खाद्य भण्डार एवं बिज गोदाम भवन का निर्माण कराने के लिये उतारू हो गये एवं गाली गलोच किया यह भी धमकी दी कि हम तुम्हारे आराजी में आने जाने का रास्ता भी तुम्हार खेत के किनारे निर्माण कर बंद कर देंगे।

5. यह कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपने पद एवं राजनैतिक हैसियत की धमकी देकर अवैद्य कार्य रूकवाने की कोशिश किये जाने पर पुलिस मे बंद कराने की धमकी दी गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि वादी के खातेदारी कब्जेयाबी मे होने की जानकारी होने के बावजूद अकारण सीमा विवाद डाल कर अनाधिकृत अतिक्रमण करने की कोशिश किये जाने पर वादी ने तहसील कार्यालय खेरवाडा में दिनांक 12.05.2016 को आवेदन कर पटवारी हल्का से सीमा जानकारी कराने का आदेश करा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मन में पूर्व से ही खोट आ गई है एवं पटवारी की सीमा जानकारी को मानने व सुनने को तैयार नही है। षययंत्रपूर्वक वादी के खातेदारी की जमीन को हडपने और उसमें अनाधिकृत अतिक्रमण कर अनाधिकृत पक्का भवन निर्माण कार्य पूरा करने के लिये गुपचुप योजना बना ली है एवं येनकेन प्रकार से निर्माण कार्य अवैध तरीके से पूरा कर देना चाहते है।

6. यह कि वादी खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम दर्ज होकर वादी का ही स्वामित्व, आधिपत्य चला आ रहा है ऐसे मे उससे प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वंय या किसी अन्य के माध्यम से उनके द्वारा वादी को बेदखल करने उपयोग उपभोग में रोकने बाधा उत्पन्न करने बाधा के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना न्यायोचित है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

अन्यथा प्रविादी संख्या 01 व 02 अपनी हैसियत एवं राजनैतिक प्रभाव का नाजायज फायदा उठा वादी को कृषि आराजीयात से बेदखल करने अविधिक रूप से अतिक्रमण कर पक्का आवासीय / व्यावसायिक निर्माण कर कृषि भूमि को खुर्द बुर्द कर क्षति पहूंचा देगे जिससे वादी को ऐसी क्षति होगी जिसका ऐवजाना असंभव है।

7. यह कि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 द्वारा दिनांक 26.06.2016 को वादी के उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में आपराधिक अतिक्रमण कर पूर्व नियोजित साजिश के तत् जे0सी0बी0 मशीन लगा कर स्थाई पक्का निर्माण करने नीवे खोदना शुरू कर दिया एवं ट्रेक्टर से पत्थर डालना शुरू कर दिया अतिक्रमण के जरिये वादी की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द कर उसकी वर्तमान स्थिति को नष्ट करने एवं अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करने व वादी के कृषि आराजीयात में आने–जाने का रास्ता बंद करने के कृत्य से वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 09.07.2016 को पंचायत अधिनियम के तहत् एक रजिस्टर्ड ए0डी0 सूचना पत्र भी भेजा गया जो उनको मिल गया है। बावजूद अनाधिकृत अतिक्रमण के जरिये स्थाई निर्माण कार्य जोर सोर से शुरू कर दिया है एवं मौके पर गिट्टी रेती आदि मटेरियल डाल दिया है एवं जबरजस्ती अनाधिकृत कब्जा कर अवैध पक्का निर्माण कार्य जारी रखे हुए है। जिससे वादी को यह वाद नोटिस के समयावधी के पूर्व पेश करना आवश्यक हुआ है।

8. यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्व दिनांक 26.06.2016 को आपराधिक अतिक्रमण किये जाने के घटना क्रम मे एक परिवाद फौजदारी कार्यचाही हेतु माननीय न्यायाधीकारी ग्राम न्यायालय खेरवाडा के समक्ष पेश किया। जो बाद सुनवाई 156 (3) जा.फो. के तहत् पुलिस थाना पहाडा को आपराधिक प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान नतीजा पेश किये जाने के आदेश दिये है एवं एक आवेदन विकास अधिकारी पंचायत समिति खेरवाडा को भी प्रस्तुत किया है। बाबजूद प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 आपराधिक अतिक्रमण के जरिये अवैध निर्माण कार्य नही रोक रहें है।

9. यह कि वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र 90 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् दिनांक 11.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार खेरवाडा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण संख्या 001 व 02 द्वारा वादी की उक्त वर्णित भूमि में अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर उसके कृषि स्वरूप को नष्ट कर अवैद्य भवन निर्माण कर रहे है एवं कृषि भूमि को नष्ट कर रह है। जिस पर प्रतिवादी ख्या 03 ने हल्का पटवारी पटिया से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जहां मौके पर हल्का पटवारी द्वारा दो बार [illegible] अवगत करा दिया कि

[illegible]

[illegible]

कृषि आराजीयात में [illegible] अतिक्रमण कर पूर्व नियोजित साजिश के तहत जेसीबी मशीन लगा कर स्थाई पक्का निर्माण करने नीवे खोदना शुरू कर दिया एवं ट्रेक्टर से पत्थर डालना शुरू कर दिया अतिक्रमण के जरिये वादी की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द कर उसकी वर्तमान स्थिति को नष्ट करने एवं अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करने व वादी के कृषि आराजीयात में आने–जाने का रास्ता बंद करने के कृत्य से वादी द्वारा अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक 09.07.2016 को पंचायत अधिनियम के तहत् एक रजिस्टर्ड ए0डी0 सूचना पत्र भी भेजा गया जो उनको मिल गया है। बावजूद अनाधिकृत अतिक्रमण के जरिये स्थाई निर्माण कार्य जोर सोर से शुरू कर दिया है एवं मौके पर गिट्टी रेती आदि मटेरियल डाल दिया है एवं जबरजस्ती अनाधिकृत कब्जा कर अवैध पक्का निर्माण कार्य जारी रखे हुए है। जिससे वादी को यह वाद नोटिस के समयावधी के पूर्व पेश करना आवश्यक हुआ है।

8. यह कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्व दिनांक 26.06.2016 को आपराधिक अतिक्रमण किये जाने के घटना क्रम मे एक परिवाद फौजदारी कार्यचाही हेतु माननीय न्यायाधीकारी ग्राम न्यायालय खेरवाडा के समक्ष पेश किया। जो बाद सुनवाई 156 (3) जा.फो. के तहत् पुलिस थाना पहाडा को आपराधिक प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान नतीजा पेश किये जाने के आदेश दिये है एवं एक आवेदन विकास अधिकारी पंचायत समिति खेरवाडा को भी प्रस्तुत किया है। बाबजूद प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 आपराधिक अतिक्रमण के जरिये अवैध निर्माण कार्य नही रोक रहें है।

9. यह कि वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र 90 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् दिनंक 11.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार खेरवाडा के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादीगण संख्या 001 व 02 द्वारा वादी की उक्त वर्णित भूमि में अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर उसके कृषि स्वरूप को नष्ट कर अवैद्य भवन निर्माण कर रहे है एवं कृषि भूमि को नष्ट कर रह है। जिस पर प्रतिवादी ख्या 03 ने हल्का पटवारी पाटिया से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जहां मौके पर हल्का पटवारी द्वारा दो बार मौका देख कर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को मौके पर ही यह अवगत करा दिया कि वादग्रस्त जमीन वादी के खातेदारी की है एवं मौके पर किया जा रहा अवैध निर्माण भी वादी के उक्त खातेदारी में है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

बावजूद प्रतिवादीगण सतयता मानने को तैयार नही हुए है। जिसका कानूनन उन्हे कोई हक व अधिकार नही है एवं अवैध निर्माण कार्य के जरिये राज्य सरकार के बजट का भी दूरूउपयोग कर वादी के खातेदारी की कृषि भूमि में निर्माण करने का भी उन्हे कोई अधिकार नही है।

अतः सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन बहस एवं मनन के पश्चात् वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा इस आशय की डिक्री जारी कि जाती है कि कॉलम संख्या 01 में वर्णित कृषि खसरा संख्या 371 रकबा 1.65 हैक्टर कुल किता 01 में अथवा उसके किसी भी जुझ हिस्से में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा अतिक्रमण नही किया जावें अगर अवैध निर्माण के जरिये पक्का भवन/गोदाम या अन्य कोई निर्माण कार्य कर लिया हो तो उक्त निमार्ण ध्वस्त किया जावे। कब्जा वादी को सिपुर्द करने का आदेशात्मक निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 द्वारा के विरूद्व जारी किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादी की उक्त कृषि भूमि मे आने जाने के आम रास्ते मे अवैध निर्माण कर अवरोध उत्पन्न नही करे कृषि भूमि को किसी प्रकार का नुकसान नही पहूंचावे वादी के शांतिपूर्व कब्जे एवं उपयोग, उपभोग में बाधा व व्यवधान प्रतिवादी स्वंय प्रतिनिधी, मजदूर, ढेकेदार, मित्र,नौकर न डाले और न ही किसी अन्य से करावें। तहसीलदार खेरवाडा निर्णय अनुसार पालना करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार हो नम्बर से कम होवे।

3/12/19

(अनिल कुमार RAS)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा